न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 230/18 **निर्णय दिनांकः–22–01–2020**

1. रामसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बींजावाश तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12–06–1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री अमरदीप सिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 12–06–1984 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय दिनांक 16–02–1977 को 21 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र धोषित करते हुए दिनांक 23–02–1977 को चक 249–600 के मुरब्बा नम्बर 108/10 के किला नम्बर 5 में 19 बिस्वा, किला नम्बर 6 में 1 बीघा, किला नम्बर 7 में 19 बिस्वा, किला नम्बर 13 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 14 ता 18 में 5 बीघा, किला नम्बर 19 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 21 में 14 बिस्वा, किला नम्बर 22 ता 25 में 4 बीघा कुल 14 बीघा 05 बिस्वा कमण्ड तथा मुरब्बा नम्बर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

108/35 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 13 में 7 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 21 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त दोनों मुरब्बों के मध्य अत्याधिक दूरी होने के कारण अदालत मातहत द्वारा दिनांक 25—02—1977 को चक 249—600 के मुरब्बा नम्बर 108/35 के किला नम्बर 18, 19, 22, 23 में 4 बीघा कमाण्ड भूमि अपीलांट को बतौर स्मालपेच आवंटन कर दी गई। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा निरन्तर किश्तें जमा करवा जाती रही तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। चूंकि पानी के अभाव में निरन्तर फसल नहीं होने के कारण अपीलांट समय पर किश्तें जमा नहीं करवा पाया। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। यदि अपीलांट की कोई किश्त बकाया भी है तो अपीलांट आज दिनांक तक बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—06—1984 के विरूद्व अपील दिनांक 02—05—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—06—1984 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 02—05—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किश्तें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा वर्ष 1977 में अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह साबित है कि अपीलांट को दिनांक 15—07—1977 को वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा जारी आवंटन आदेश में अपीलांट को नियमानुसार दस किश्तों में राशि जमा कराने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा आठ किश्तें जमा करवाई गई। ऐसी स्थिति में जब किश्तें लगातार जमा हो रही थी तो मात्र दो किश्तों के अभाव में अपीलांट के विधिवत आवांटन को खारिज किया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। विगत् 07 साल तक लगातार किश्तें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—06—1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई हो तो बकाया राशि तीन माह में जमा करवाकर समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22—01—2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 11:25:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: